राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निग. सं. 347/13 जिला जोधपुर

उनवान श्री परसाराम चौहान बनाम सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.1.15	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** प्रार्थी की और से श्री रामवल्लभ चौहान एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। श्री चौहान ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र.प. 2(6)वित्त/कर/2014–143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत निगरानी को विद्ड्रा करना चाहते है। इस बाबत् श्री चौहान के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक अजमेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आप्पति व्यक्त नहीं की। अतः प्रार्थी श्री चौहान का निगरानी को विद्ड्रा करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी जरिये विद्ड्राअल खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	